

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
प्रवेश एवं परीक्षा समिति की संयुक्त आकस्मिक बैठक दिनांक 19.02.2016 का
कार्यवृत्त

उपस्थिति —

1. प्रो० अशोक कुमार, कुलपति, अध्यक्ष — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
2. अधिष्ठाता— कृषि संकाय — सदस्य — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
3. अधिष्ठाता—कला संकाय— सदस्य — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
4. अधिष्ठाता—वाणिज्य संकाय — सदस्य — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
5. अधिष्ठाता—विधि संकाय — सदस्य — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
6. अधिष्ठाता—विज्ञान संकाय — सदस्य — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
7. अधिष्ठाता—शिक्षा संकाय — सदस्य — प्रवेश एवं परीक्षा समिति
8. डॉ० देवेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्राचार्य : सदस्य — प्रवेश समिति
9. डॉ० के०के० यादव, प्राचार्य : सदस्य — परीक्षा समिति
10. प्रो० निजामुद्दीन— रसायनशास्त्र विभाग सदस्य — परीक्षा समिति
11. डॉ० मालविका श्रीवास्तव— वनस्पति विज्ञान विभाग सदस्य — परीक्षा समिति
12. डॉ० वेद प्रकाश मिश्र— सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर सदस्य — परीक्षा समिति
13. डॉ० श्रीमती सरोज श्रीवास्तव, डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, गोरखपुर
सदस्य — परीक्षा समिति
14. डॉ० सुधाकर लाल श्रीवास्तव— अध्यक्ष— विश्वविद्यालय शिक्षक संघ
सह— सदस्य — परीक्षा समिति
15. अधिष्ठाता—छात्र कल्याण सह— सदस्य — प्रवेश समिति
16. नियन्ता सह— सदस्य — परीक्षा समिति
17. वित्त अधिकारी— विशेष आमंत्रित
18. कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, सचिव— परीक्षा समिति— सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया—

1. (क) समिति ने विश्वविद्यालय परिसर के विधि भाग—तीन के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का प्रवेश एवं परीक्षा शुल्क न जमा करने के कारण, रुके परीक्षाफल के निस्तारण हेतु छात्रों से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2016 पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि चूँकि विधि—तृतीय वर्ष का सत्र अनियमित चल रहा था और अनुसूचित जाति/जनजाति के 27 छात्रों की (प्रवेश व परीक्षा शुल्क) क्षतिपूर्ति रू० 98,361/— शासन से प्राप्त नहीं होगा और छात्रों का परीक्षाफल रुका हुआ है। वर्तमान में छात्र आमरण अनशन पर हैं व दिनांक 22.02.2016 को दीक्षान्त समारोह आयोजित है, इसलिए विशेष परिस्थिति में छात्र हित में परीक्षाफल आज दिनांक 19.02.2016 को घोषित कर दिया जाय।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सत्र अनियमित होने के क्रम में व्यापक चर्चा बाद में कर लिया जाय।

- (ख) राजभवन के निर्देश के क्रम में श्री त्रिलोकी सिंह, शिवहर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती सत्र 1990 की बी०ए० की उपाधि प्रदान करने के क्रम में मा० कुलपति जी द्वारा अधिष्ठाता— विधि संकाय की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार।


सम्यक् विचारोपरान्त समिति ने राजभवन के निर्देश के क्रम में श्री त्रिलोकी सिंह, शिवहर्ष किसान पी०जी० कालेज, बस्ती सत्र 1990 की बी०ए० की उपाधि प्रदान करने के क्रम में मा० कुलपति जी द्वारा अधिष्ठाता— विधि संकाय की अध्यक्षता में गठित

झ.


श्री सच्चिदानन्द पाल, ग्राम- धस्की, पोस्ट- कौड़ीराम, गोरखपुर का बी0ए0 भाग-1, 2 एवं 3 परीक्षा वर्ष क्रमशः 2001, 2002, एवं 2003 की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने हेतु उक्त वर्षों में हुए प्रवेश को निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार।

समिति ने, श्री सच्चिदानन्द पाल, ग्राम- धस्की, पोस्ट- कौड़ीराम, गोरखपुर का बी0ए0 भाग-1, 2 एवं 3 परीक्षा वर्ष क्रमशः 2001, 2002, एवं 2003 की प्रवेश, अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रत्यावेदन भी प्राप्त हुआ है। अतः इस प्रकरण की जाँच हेतु एक समिति गठित करने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक




कुलपति